[11/8/2021]

परिशिष्ट

प्रश्न सं. [क्र. 530]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमाँक - 530
द्वारा माननीय विधायक - श्री राहुल सिंह लोधी

दिनाँक 29/01/2013 को खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए ग्राम बाजीतपुरा तहसील जतारा में शासकीय भूमि के खसरा क्रमाँक 111/1 के अंश भाग पर अवैध उत्खनन किये जाने पर अनावेदक श्री सुरेन्द्र सिंह गौर तनय श्री भगवंत सिंह गौर निवासी जतारा जिला टीकमगढ़ एवं श्री रवि प्रताप सिंह तनय श्री भानसिंह परिहार निवासी ग्राम चन्द्रपुरा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ के विरूद्ध राशि रूपए 65596500/- (छः करोड़ पचपन लाख छियानवे हजार पाँच सौ) का अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण वर्तमान में सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री अभियंत सिंह गौर निवासी जतारा द्वारा ग्राम बाजीतपुरा तहसील जतारा में खसरा क्रमाँक 111/1/2 रकबा 2.023 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज गिट्टी पत्थर हेतु उत्खनिपट्टा आवेदन दिनाँक 04/04/2017 को मय सहपत्रों के प्रस्तुत किया गया। खनिज नियमानुसार प्रस्तुत आवेदन की जाँच प्रतिवेदन वन मण्डलाधिकारी, तहसीलदार जतारा, सहायक मानचित्रकार, खनि निरीक्षक, भू-वैज्ञानिक एवं ग्राम सभा की अनुशंसा के पश्चात् नियमानुसार सैद्धांतिक सहमति जारी की गयी। तत्पश्चात आवेदक श्री अभियंत सिंह गौर द्वारा अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने के पश्चात् स्वीकृति आदेश जारी किया जाकर नियमानुसार अनुबंध संपादित किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् नियमानुसार भू-प्रवेश दिया गया। तत्पश्चात पट्टाधारी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर द्वारा जारी सम्मति प्राप्त की गयी। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड सागर द्वारा क्रशर की एन.ओ.सी. दिनाँक 22/02/2022 तक के लिए खनिज स्टोन गिट्टी हेतु जारी की गयी है किन्तु खदान से बोल्डर उत्खनन की एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं होने से ईटीपी बंद है।

संचालक

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग